हिस्ट्रीशिटर सहित पांच आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। सविना थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में हिस्ट्रीशिटर सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार गत दिनों खांजीपीर खडगजी का चौक निवासी शामीना पत्नी अहलम खान ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि काका होटल से आगे शाबाद नामक लड़के के साथ तीन लोग आए । जो मेरे भाई जावेद पुत्र जहुर खान का अपहरण कर ले गए। भाई ने मुझे फोन कर सूचना दी उसके बाद फोंन बद हो गया। भाई के पास कुछ दिन पहले फिरोती के लिए फोन अया था मेरे भाई को जान का खतरा है। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा, पुलिस उप अधीक्षक राजीश जोशी के सुपरविजन में कांस्टेबल भगवतीलल को मुखबीर से सूचना मिली की आरोपियों के राजसमन्द जिले मे देवरी खेड़ा के पास जंगल में किसी खण्डहर में रूके हुए है। इस पर पुलिस दल ने विजयसिंह पथिक नगर सवीना निवासी शबद शह पुत्र सहजाद शाह, नई बस्ती, सवीना निवासी शोयब पठान पुत्र अहमद पठान, दीवान शाह कॉलोनी सूरजपेल निवासीअनीस बक्श पुत्र करीम बक्श, किशनपोल चौकी के पास सूरजपोल निवासी मोसिर उरर्पु मोहम्मद अली उर्फ खन्ना पुत्र मेहबूब अली , भुपालपुरा मठ निवासी रज्जाक खन उर्फ भूरिया पुत्र अकरम खान को गिरफ्तार किया। शाबाद शाह सवीना पुलिस थाने का हिस्ट्रीशिटर है। ।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/331 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्री श्याम जी साहू पिता स्व.श्री फतेह लाल जी निवासी 23-जे शक्तिनगर, उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- रास्ता 20 फीट चौड़ा पश्चिम- श्री फतह लाल जी की जमीन उत्तर-श्री फतह लाल जी की जमीन दक्षिण-श्री कन्हैयालाल जी की जमीन	586.25 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/329 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय पिता स्व.श्री पुरूषोत्तम लाल उपाध्याय निवासी 17-बी गुन्दिया भैरू, उदयपुर भुखण्ड 45/362 छाजेड़ो की पोल मालदार स्ट्रीट उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- श्री भंवर लाल जी का मकान पश्चिम-22 फीट उत्तर-रास्ता 5फीट चौड़ा दक्षिण-श्री हिम्मत लाल जी का मकान	374 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/278 दिनांक:-17-11-21

आम-सूचना

श्री गोपाल लाल साहू पिता श्री मोड़ी लाल जी साहू एवं श्रीमती शान्ती देवी पति श्री गोपाल लाल जी साहू निवासी 11.12 कोलीवाड़ा उदयपुर भुखण्ड 19 मनवा खेड़ा हिरण मगरी सेक्टर 4 उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व-रोड़ 120 पश्चिम-आई.के. बसल सा.का मकान उत्तर-श्री शरद चन्द्र जी का मकान दक्षिण-श्री माहेश्वरी जी का मकान	1500 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/342 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्री निर्मल कुमार जैन पिता श्री अर्जुन लाल जैन निवासी 20 आर्देश्वर कॉलोनी, बोहरवाड़ी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- रोड़ 16 फीट चौड़ा पश्चिम-गली 10 फीट उत्तर-प्लॉट नं.17 दक्षिण-प्लॉट नं.19	1420 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/346 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्रीमती बसंतमाला जी पति श्री मोती लाल जैन निवासी 12-बी नवरतन काम्पलेक्स उदयपुर भुखण्ड 6आर्देश्वर कॉलोनी, बोहरवाड़ी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- गली 2 फीट पश्चिम-रोड़ 16 फीट चौड़ा उत्तर-प्लॉट नं.5 दक्षिण-प्लॉट नं.21	3020 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/345 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्री विजय कुमार जैन पिता श्री आनन्दी लाल जैन एवं श्रीमती प्रेम कुमारी पति श्री आनन्दी लाल जैन निवासी 3-ए आदेश्वर कॉलोनी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- गली 2 फीट पश्चिम-रोड़ 16 फीट चौड़ा उत्तर-प्लॉट नं.4 दक्षिण-प्लॉट नं.3	1585 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/343 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्री निर्मल कुमार जैन पिता श्री अर्जुन लाल जैन निवासी 20 आर्देश्वर कॉलोनी, बोहरवाड़ी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- रोड़ 16 फीट चौड़ा पश्चिम-गली 10 फीट उत्तर-प्लॉट नं.19 दक्षिण-रास्ता	1226.25 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/202 दिनांक:-16-11-21

आम-सूचना

श्री दिनेश पेखरना पिता श्री धुलचन्द पोखरना एवं श्री धुलचन्द पेखरना पिता श्री मोड़ीलाल जी निवासी 16-सिटी स्टेशन रोड़ धोली मगरी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- प्लॉट नं.17 पश्चिम-रोड़ 30 फीट उत्तर-रोड़ 30 फीट दक्षिण-होटल कनक	3072 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाषसं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262,
वेबसाइट- www.mcudaipur.org.com

क्रमांक:-69-क/2021-22/344 दिनांक:-23-11-21

आम-सूचना

श्रीमती प्रेम कुमारी पति श्री आनन्दी लाल जैन निवासी 3 आर्देश्वर कॉलोनी, बोहरवाड़ी उदयपुर नीचे वर्णित भूमि के अपने अधिकार आवासीय/वाणिज्यिक/मिश्रित के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगर निगम के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पड़ौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड संख्या	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लंबाई और चौड़ाई सहित क्षैत्र (मीटर में)
उदयपुर	शहरी	पूर्व- गली 2 फीट पश्चिम-रोड़ 16 फीट चौड़ा उत्तर-प्लॉट नं.2 दक्षिण-प्लॉट नं.3-ए	1595 वर्गफीट

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम , 2009 की धारा 69-क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजुरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह यह नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजो के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा की किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.11.21 के जारी की गई।

(हिम्मत सिंह बारहठ) आयुक्त, नगर निगम उदयपुर

कार्यालय नगर परिषद बांसवाड़ा (राज.)

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

फोन:02962-243714,247201 फैक्स:02962-243714 Email Id:palika.bsw@gmail.com

क्रमांक: न.प.बा./नजुल/खांचा भूमि/2021-22/7719-22 दिनांक : 24/11/21

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021

उजरदारी सूचना :-06

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद क्षैत्र बांसवाड़ा में निम्नांकित व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने भूखण्ड से लगती हुई रिक्त भूमि(खांचा भूमि) केअंनर्गत आवंटन करवाने हेतु आवेदन किया गया है। इसके संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई भीआपत्ति हो तो प्रकाशन दिनांक से 07 (सात) दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति लिखित में मय दस्तावेजी सबुत के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्यालय समय में कार्य दिवस में प्रस्तुत करें। बाद अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाकर कोई उजर मान्य नहीं होगा एवं खांचा भूमि के अंनर्गतआवंटन संबंधि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक मय पता	आवेदित खांचा भूमि का स्थान	आवेदित साईज वर्गफीट
1.	श्री धनन्जय पाठक पुत्र श्री योगेश पाठक निवासी ए-24, माही सरोवर नगर , बांसवाड़ा	भू.सं.16, शारदा नगर, श्यामपुरा, बांसवाड़ा	168.75 वर्गफीट
2.	श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह चारण निवासी करणपुर, तहसील गढ़ी, बांसवाड़ा	ब्लॉक ए, डूंगरपुर रोड़, जानामेडी-बी, बांसवाड़ा	1200.00 वर्गफीट
3.	श्री पर्वत सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह चारण निवासी तेलनखेड़ी, तहसील वल्लभनगर, उदयपुर	ब्लॉक बी, डूंगरपुर रोड़, जानामेडी-बी, बांसवाड़ा	1200.00 वर्गफीट
4.	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री प्रभुलाल दर्जी निवासी करणपुर, तहसील गढ़ी बांसवाड़ा	ब्लॉक सी, डूंगरपुर रोड़, जानामेडी-बी, बांसवाड़ा	1200.00 वर्गफीट
5.	श्रीमति सुरज कुंवर पत्नि श्री इन्द्रजीत सिंह चारण निवासी करणपुर, तहसील गढ़ी, बांसवाड़ा	ब्लॉक डी, डूंगरपुर रोड़, जानामेडी-बी, बांसवाड़ा	1200.00 वर्गफीट
6.	श्रीमति सूर्यकांता पत्नि स्व.श्री नरेन्द्रलाल चौबीसा निवासी राजकीय महाविद्यालय के पीछे ढेडापाल लोकेलिटी,बांसवाड़ा	भू.सं.15 ढेडापाल लोकेलिटी बांसवाड़ा	600.00 वर्गफीट
7.	श्री हकीमुद्दीन पुत्र श्री अलीभाई बागीदौरावाला निवासी मुस्लिम कॉलोनी, बांसवाड़ा	मुस्लिम कॉलोनी, नये बस स्टेण्ड के सामने, बांसवाड़ा	350.00 वर्गफीट
8.	श्री गिरिश चन्द्र पुत्र श्री गणेशलाल जोशी निवासी सरेडी बडी तह. गढ़ी, बांसवाड़ा	भू.सं.49 ढेडापाल, बांसवाड़ा	273.00 वर्गफीट

आयुक्त
नगर परिषद बांसवाड़ा

राज्यपाल कलराज मिश्र आज उदयपुर में

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र गुरुवार 25 नवंबर की सुबह 10.50० बजे राजकीय विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वे यहां से 10.55 बजे नाथद्वारा रोड स्थित बिलोता गांव के लिए प्रस्थान करेंगे।

जिला कलक्टर चेतन देवडा ने बताया कि राज्यपाल बिलोता में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्रीनाथजी पीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नाथद्वारा के भूमिपूजन-शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे यहां से दोपहर 1.20 बजे लाभगढ रिसोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल दोपहर 2.20 बजे टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केन्द्र जाएंगे तथा वहां से पुन: तीन बजे सर्किट हाउस के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल मिश्र शुक्रवार 26 नवंबर को सुबह 11.30 बजे मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय पहुंचेंगे तथा वहां आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर अपराह्न 3.30 बजे डबोक एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। वे यहां से 4 बजे राजकीय विमान से जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।

20 हजार बेटियों को बांटे जाएंगे नि:शुल्क स्वेटर

उदयपुर, (कासं)। प्रधानमंत्री योजना 'बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ- और सुहानी सर्दी आन्दोलन के संयुक्त तत्वाधान में देश की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 20 हजार बेटियों को नि:शुल्क स्वेटर वितरण की शुरूआत पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे द्वारा दोपहर 12 बजे की गई। इसके पश्चात दोपहर 12.30 बजे उदयपुर संभाग के विभिन्न 101 सरकारी स्कलों में सुहानी सर्दी आन्दोलन का आगाज हुआ। एक ही दिन में एक साथ पांच हजार से अधिक ग्रामीण बच्चों को नए स्वेटर मिले। उदयपुर में शुभारम्भ के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में भी सुहानी सर्दी आन्दोलन किया जाएगा। नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया ने बताया कि बुधवार को एक दिन-एक साथ 101 स्कूलों में स्वेटर वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ वसुंधरा राजे ने किया। वर्ष 2015 से यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी मासूम बच्चा सर्दी में ना ठिठुरे।

हर्षकलाल हत्याकाण्ड का वांछित आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। फलासिया थाना पुलिस ने हर्षकलाल हत्याकण्ड के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 17 नवंबर को आमलिया गांव निवासी कालुलाल कलाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 14 नवंबर को मेरा पुत्र हर्ष कलाल व संजय परमार सर की पार्टी में जाने के लिए घर से निकला था। दूसरे दिन वह दुकान पर नहीं आया। जिसकी पड़ताल की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इस पर पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। 16 नवंबर को हर्ष की बाइक खरड़िया स्कूल के पास मिली तथा हर्ष लाश दूसरे दिन महुदरा घाटे में मिली । इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनन्त कुमार, पुलिस उप अधीक्षक झाडोल गिरधरसिंह के सुपरविजन में फलासिया थानाधिकारी रामनारायण मय टीम ने काकरदरा बावलवाड़ा निवासी पुष्कर उर्फ पंकज पुत्र शंभूलाल को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी झुथरी निवासी खेरवाड़ा निवासी संजय परमार पुत्र शंकरलाल परमार को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है।

हत्या का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। युवक की हत्या कर लाश कुए में फैंकने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पहाड़ा थाना क्षैत्र सेलियों की करदा गांव निवासी किशनसिंह ने साकरोदा निवासी देवेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह देवड़ा, व नाहरा मगरा निवासी सुरेश पुत्र तेजपाल मेघवाल के खिलाफ पुत्र गोपालसिंह (20) की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया। जिसमें पीड़ित ने बताया कि मेरे पुत्र गोपालसिंह ने आरोपी देवेन्द्रसिंह को 1 लाख 45 हजार रूपये उधार दिए थे एवं सुरेश को 17 हजार रूपये उधार दिए थे। कुछ समय बाद रूपयों की उगाही करने से आरोपी नाराज थे। इसके चलते पुत्र को बुला कर उसकी हत्या कर लाश के कुए में फैक दिया था। जिसकी तलाश करने के दौरान लाश आमली घाटी कुए में मिली थी। उल्लेखनीय है कि 11अक्टूबर को गोपालसिंह की लाश कुए में मिली थी। उस समय पुलिस ने मृग की कार्यवाही कर मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी - कोटड़ा, उदयपुर, (राजस्थान)
Email:-bcmo_kotra@Yahoo.com

क्रमांक/2021/548 दिनांक 24/11/2021

निविदा सूचना

कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी कोटड़ा जिला उदयपुर (राज.) पर वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस कार्यालय के अधीन सामुदायिक स्वास्थय केंद्र कोटड़ा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मामेर पर बिल्डिंग रिपेरिंग (लेबर मय सामग्री) हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सी से निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र दिनांक 25.11.2021 से 01.12.2021 को 1.00 बजे तक बेचीं जाएगी तथा दिनांक 01.12.2021 को 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर निविदा उसी दिन 3.00 बजे गठित कमेठी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटड़ा में खोली जाएगी :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	संस्थान का नाम	अनुमानित लागत (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)
1	बिल्डिंग रिपेरिंग (लेबर मय सामग्री)	सामुदायिक स्वास्थय केंद्रकोटड़ा	3,16,732/-	400/-
2	बिल्डिंग रिपेरिंग (लेबर मय सामग्री)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मामेर -कोटड़ा	1,10,447/-	

शर्ते:-

1) धरोहर राशि हेतु वित्त (सा.वि.ले.नि.)विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2 (1) वित्त/जीएंडटी/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के धरोहर राशि के स्थान पर 50 रू.के स्टाम्प पर घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2) कार्य का विस्तृत विवरण निहित प्रारूप कार्य के साथ ही प्राप्त की जा सकेगी।
3) निविदाएं निहित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी जिन्हे कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटड़ा में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है।
4) क्षैत्रीय एजेंसी को प्राथमिकता होगी।
5) सीमित न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा यह निविदा या निविदा के किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकता है।
6) दरें संस्थान हेतु देना अनिवार्य होगा।

खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी
कोटड़ा, उदयपुर

प्ररूप-3 नियम (2) देखिये

कार्यालय नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/लोसू/ योजना/भूमि/56/2021/413-16 दिनांक 24.11.2021

::लोक सूचना::

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे अंकित आवेदकों द्वारा बरूए राजस्व विभाग की जमाबन्दी के अनुसार स्वयं के स्वामित्व, खातेदारी, अधिपत्य की कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति के अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

खातेदार/आवेदक का नाम व पता	ग्राम	आ.न.	क्षैत्रफल हैक्टे.	प्रयोजन
मोहितसिंह/बिरेन्द्र सिंह राजपूत निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़ (राज.)	रोलाहेडा	802/2 मी 802/2/1 802/2/2	0.4320	आवासीय
रूपलाल नामधराणी एण्ड संस एचयूएफकर्ता रूपलाल/रामचन्द्र नामधराणी नि. चित्तौड़गढ़	मानपुरा	763	0.4900	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्थान, को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने एवं अभिधृति अधिकारों के निर्वापन करने पर कोई आक्षेप हो तो इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर भीतर किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त समय के भीतर भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति/ संस्था को आक्षेप नहीं है, और तदनुसार आक्षेप का निपटारा किया जावेगा यह सूचना पत्र आज दिनांक 24.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, बड़ीसादड़ी जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/न.पा.ब./प्र.श.अ./2021-22/242 -: उजरदारी सूचना :- दिनांक: 24.11.2021

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कार्यालय नगरपालिका बड़ीसादड़ी में निम्न व्यक्तियों द्वारा स्टेट ग्रान्ट एक्ट 1961 के तहत पुश्तैनी निर्मित भवन के पट्टे एवं 69 के तहत पट्टे के लिए आवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा स्वयं एवं अड़ौस-पड़ौस के व्यक्तियों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। अत: आवेदक के पैतृक म्पत्ति हक एवं मालिकाना स्वामित्व सम्बन्धि किसी व्यक्ति का कोइ आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथी से सात दिवस में अपनी आपत्ति मय प्रमाण प्रस्तुत करें। आपत्ति समयावधि बाद प्रस्तुत करने पर मान्य नहीं होगी तथा पालिका द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी कर दिया जावेगा जिसका बाद में कोई उजर मान्य नहीं होगा। पट्टा जारी करने वाली पैतृक सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम मय पता	चर्तुसीमा	वार्ड सं.	क्षेत्रफल
1.	श्रीमती कला देवी हरिजन पत्नी श्री सुरेश हरिजन, हरिजन बस्ती कानोड़ दरवाजा, बड़ीसादड़ी	पूर्व- कृषि भूमि व नारायण हरिजन का मकान व रास्ता पश्चिम- गली उत्तर- चौधरी परिवार की कृषि भूमि दक्षिण- सुरेश हरिजन का मकान	25	790 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
2.	श्री शिवनारायण दर्जी पिता श्री शंकर लाल दर्जी चौधरी मौहल्ला बड़ीसादड़ी	पूर्व- आम रास्ता पश्चिम- लक्ष्मीनारायण के हिस्से का मकान उत्तर- बसंती लाल नवलखा का मकान दक्षिण- आम रास्ता	11	360 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
3.	श्री मांगीलाल भोई पिता श्री लक्ष्मण लाल भोई तालाब रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- मोहन सिंह का मकान पश्चिम- नारायण सिंह का भूखण्ड उत्तर- आम रास्ता दक्षिण- रामदेव जी का मकान	23	1897.5 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
4.	श्री टेकचन्द कुम्हार पिता श्री मोड़ा कुम्हार स्टेशन रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- विशाल मारू का रिक्त भूखण्ड पश्चिम- भोपराज पिता रोडालाल मेहता का मकान उत्तर- आम रास्ता दक्षिण- गली बाद में लालु मोची व कालु कुमार का मकान	08	3350 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
5.	श्री बाल किशन, घनश्याम पिता श्री भगवती लाल सोनी पाडनमाल बड़ीसादड़ी	पूर्व- भंवरलाल रावत की जमीन एवं निर्मित मकान पश्चिम- शंकरलाल ब्राह्मण की जमीन उत्तर- रोड़ , दक्षिण- आम रास्ता	15	5100 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
6.	श्रीमती फेफा बाई पत्नी श्री अशोक गांछा, गांछा मोहल्ला बड़ीसादड़ी	पूर्व- सोनारों का नोहरा व रास्ता पश्चिम- भैरूलाल धोबी का मकान उत्तर- आम रास्ता दक्षिण- भैरूलाल धोबी का मकान	22	243 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
7.	श्री मुस्ताक मोहम्मद पिता श्री रियाज मोहम्मद शेख वार्ड नं. 21 बड़ीसादड़ी	पूर्व- जहीर मोहम्मद का मकान पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- गली 10 फीट चौड़ी दक्षिण- कुमार पाल चौधरी का मकान	21	825.94 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
8.	श्री चन्द्र मोहन पिता श्री घनश्याम दवे भट्ट जी की गली बड़ीसादड़ी	पूर्व- नटवर लाल शर्मा का मकान पश्चिम- रोड़, उत्तर- चन्दा जी जैन का मकान दक्षिण- रोड़	16	1074 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
9.	श्री उदयलाल, महेन्द्र टेलर पिता श्री गोवर्धन लाल टेलर डांगियों की गली बड़ीसादड़ी	पूर्व- कैलाश सोनी का मकान पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- हरलाल दर्जी का मकान दक्षिण- रामचन्द्र टेलर का मकान	11	344 वर्गफीट (69 के अन्तर्गत)
10.	श्री रशीद मोहम्मद पिता श्री अल्लानुर पिंजारा धांधवा रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- नजर मोहम्मद का मकान पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- आम रास्ता धांधवा रोड़ दक्षिण- रूकसाना का मकान	13	281.25 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
11.	श्री फतह सिंह पिता श्री लाल सिंह राजपुत सुखाड़िया कॉलोनी बड़ीसादड़ी	पूर्व- पड़त भूमि पश्चिम- गुलाब सिंह तंवर का मकान उत्तर- लाल सिंह तंवर का मकान दक्षिण- आम रास्ता	07	891 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
12.	श्री दिवेश दत्त जोशी पिता श्री विष्णु दत्त जोशी घाणा गली बड़ीसादड़ी	पूर्व- ब्रजमोहन का भूखण्ड पश्चिम- आम रास्ता, उत्तर- भूखण्ड दक्षिण- सारगमल का मकान	17	537 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
13.	श्रीमती नन्द कुंवर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी नीमच रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- लक्ष्मण सिंह का मकान पश्चिम- भैरू सिंह का मकान उत्तर- रास्ता, दक्षिण- रास्ता	19	936 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
14.	श्री नरेश दत्त जोशी पिता श्री विष्णु दत्त जोशी कुम्हारों का मौहल्ला बड़ीसादड़ी	पूर्व- जीवन पितलिया का मकान पश्चिम- नारायण लाल प्रजापत का मकान उत्तर- आम रास्ता दक्षिण- स्वयं की क्रय शुदा खांचा भूमि	08	810 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
15.	श्री ललित सिंह तंवर पिता श्री सत्यनारायण सिंह तंवर राजमहल रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- बसंतीलाल व पारसमल का पड़त तलिया पश्चिम- जैन मंदिर, उत्तर- रोड़ दक्षिण- कन्हैया लाल मेहता का मकान	18	240 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
16.	श्री जगदीश चन्द्र तेली पिता श्री शंकर लाल तेली, तेलियों की गली बड़ीसादड़ी	पूर्व-तेलियों की गली आम रास्ता पश्चिम- 15 फीट गली उत्तर- कैलाश चन्द्र का मकान दक्षिण- कैलाश चन्द्र का मकान	15	510 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
17.	श्री जगदीश चन्द्र तेली पिता श्री शंकर लाल तेली ब्रह्मपुरी बड़ीसादड़ी	पूर्व- जीतमल नाहर का मकान एवं कमला जोशी का मकान पश्चिम- रामनारायण नाई का मकान उत्तर-शिवदत्तव्यास का मकान व कमला जोशी का मकान दक्षिण- गली फनेंट स्वयं का	09	2098.6 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
18.	श्री जगदीश जोशी पिता श्री कृष्णवल्लभ जोशी ब्रह्मपुरी चौक बड़ीसादड़ी	पूर्व- चंदनमल, मदनलाल गांग का मकान पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- नलीनी जोशी का मकान दक्षिण- आम रास्ता, राजमहल मार्ग	-	454.21 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
19.	श्री जगदीश चन्द्र तेली पिता श्री शंकर लाल तेली तेलियों की गली बड़ीसादड़ी	पूर्व- कन्हैया लाल नाई का मकान पश्चिम- तेलियों की गली आम रासता उत्तर- कालूलाल, कैलाश चन्द्र लखारा का मकान दक्षिण- दिनेशचन्द्र टेलर का मकान	15	403 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
20.	श्री देवी सिंह पिता श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, गजसिंह जी की भागल बड़ीसादड़ी	पूर्व- प्रभुलाल डांगी का फार्म पश्चिम- रास्ता, उत्तर- भैरूसिंह का मकान दक्षिण- मदन सिंह का मकान	23	5040 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)
21.	श्रीमती रूकसाना पत्नी श्री अहमदनुर पिंजारा वार्ड नं. 13 धांधवा रोड़ बड़ीसादड़ी	पूर्व- नजर मोहम्मद का मकान पश्चिम- आम रास्ता उत्तर- रशीद मोहम्मद का मकान दक्षिण- फारूख मोहम्मद का मकान	13	281.25 वर्गफीट (स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत)

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका बड़ीसादड़ी